

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— संजय साहु पिता सरजु साहु बगैरह.....।

बनाम

वाद सं० 52/2020

द्वितीय पक्ष— मिथेलेश साहु पिता कैलास प्रसाद साहु बगैरह..

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 15/5/20	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 24/2020 दिनांक 26/09/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) संजय साहु पिता सरजु साहु (2) पुष्पा देवी उम्र 40वर्ष पति संजय साहु दोनो ग्राम बिलिंगबेरा थाना पालकोट बनाम द्वितीय पक्ष (1) मिथेलेश साहु उर्फ संतोष साहु पिता कैलास प्रसाद साहु (2) कैलास साहु उम्र 50 वर्ष ग्राम बिलिंगबीरा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच घरेलू विवाद को लेन आपसी विवाद है । उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। अतः उभय पक्षों के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	